(134)

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

निगरानी 1254-I-15

भगवानदास तनय अजुध्या काछी
निवासी ग्राम बंछरैनिया तह. व जिला छतरपुर .....................निगरानीकर्ता

विरूद्व

म.प्र.शासन ..........अनावेदक

## निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित अपीलार्थीगण न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/06/13 तथा उसके तारतम्य में तहसीलदार छतरपुर 1/11/13 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बछरोनियां स्थित भूमि खसरा क्र 96/11/1 रकवा 3.000 हे भूमि का पट्टा प्रदाय किया गया था जिसके राजस्व अभिलेख में अमल हेतु निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर अपर तहसीलदार छतरपुर द्वारा दिनांक 30/9/08 को विधिवत् आदेश पारित कर निगरानीकर्ता का नाम दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया परंतु तहसीलदार के पद पर पदस्थ नवीन तहसीलदार द्वारा विधि विपरीत तरीके से एक पक्षीय रूप से दिनांक 21/6/13 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित विधि विरूद्व आदेश के आधार पर निगरानीकर्ता का पट्टा निरस्त किए जाने का विधि विपरीत आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

MAY 2015
कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म. प्र.)

(3)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—1254—एक/2015** | जिला—छतरपुर

भगवानदास विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 22—08—2019 | प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर, जिला—छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21—06—2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारो 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 10—10—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br>(जे0के0 जैन)<br>सदस्य | |